Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 42–2021] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 19, 2021 (ASVINA 27, 1943 SAKA)

PART – I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विद्यालय शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 अगस्त, 2021

क्रमांक 12/3–2021 परीक्षा (1).–

विषय :– आधार अधिनियम 2016 की धारा–7 के तहत कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के अनुसूचित जाति वर्ग के सभी विद्यार्थियों के लिये मासिक छात्रवृति योजना की अधिसूचना, जैसा कि आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 में संशोधित किया गया है।

****

सेवाओं या लाभों या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिये एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रकियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता वदक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है तथा आधार किसी की पहचान को साबित करने के लिये विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और जबकि, सैकण्डरी शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति वर्ग के कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों के लियेमासिक छात्रवृति की योजना का संचालन कर रहा है।

और जैसा कि इस योजना के अधीन योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनसुार राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के नौवीं से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को डायरेक्ट बैनिफिट ट्रांस्फर (डी.बी.टी.) माध्यम से प्रदान करती है।

और उपरोक्त योजना के तहत व्यय हरियाणा सरकार की समेकित निधि (वित्त विभाग) से होने वाले आवर्ती व्यय में शामिल है:

अतः अब हरियाणा सरकार आधार अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे, इसमें, इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के उपबंधो के अनुसरण में (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) बारे निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्–

1 (1) योजना के अधीन प्रसुविधा लेने के इच्छुक प्रत्येक पात्र बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा अथवा उसे आधार प्रमाणीकरण करवाना होगा।

(2) योजना के अधीन प्रसुविधा पाने का इच्छुक प्रत्येक बच्चा जो आधार संख्या नहीं रखता है या जिसने आधार के लिए अभी तक नामाकंन नहीं किया है, उसे योजना के लिए पंजीकरण करने से पहले अपने माता–पिता या अभिभावकों की सहमति से आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधो के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे बच्चे आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द (केन्द्रों की सूची भारतीय विशिष्ट पहचाान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर संपर्क कर संकेगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) अधिनियम, 2016 के विनियमन 12 के अनुसार विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, उन लाभार्थियों के लिए जो अभी आधार हेतु नामांकित नहीं हुए है, के आधार नामांकन सुविधाओं की व्यवस्था करना अपेक्षित है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं हो तो विभाग कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के सहयोग से या स्वतः यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधांए उपलब्ध कराएगाः

बशर्ते कि किसी बच्चे को आधार प्रदान किए जाने तक उसे निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर प्रसुविधा प्रदानकी जाएगी, अर्थात्:–

(क) यदि बच्चा पांच साल की उम्र (बायोमैट्रिक्स संगह के साथ), प्राप्त करने के बाद नामांकित किया गया है, उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, अथवा बायोमैट्रिक्स अपडेट पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक हो, अर्थात्:–

i. जन्म प्रमाणपत्र; अथवा यथोचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का रिकार्ड; अथवा

ii. स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्कूल का पहचान पत्र, जिसमें माता–पिता के नाम हों; और

(ग) मौजूदा योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप, माता–पिता या वैधानिक अभिभावक के साथ प्रसुविद्यार्थी के संबंध के सबूत के तौर पर निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज; अर्थात्:–

i. जन्म प्रमाणपत्र: अथवा यथोचित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म का रिकार्ड; अथवा

ii. राशन कार्ड; अथवा

iii. भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई.सी.एच.एस.) कार्ड; अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस,आई.सी.) कार्ड; अथवा केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) कार्ड; अथवा

iv. पेंशन कार्ड; अथवा

v. आर्मी कैटीन कार्ड; अथवा

vi. कोई भी सरकारी परिवार पात्रता/हकदारी कार्ड; अथवा

vii. विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

बशर्ते कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा इस कार्य हेतु विशेष रूप से नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी। #

2. योजना के अधीन प्रसुविधाएं सरलतापूर्वक प्रदान करने के लिए विभाग कार्यान्वयन एजेंसी के सहयोग से उक्त योजना के तहत आधार की आवश्यकता के प्रति लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेगा तथा इस हेतु सभी आवश्यक प्रबंध करेगा।

3. उन सभी मामलों मे, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमैट्रिक्स के कारण अथवा किसी अन्य कारण से आधार अधिप्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाया जाएगा, अर्थात्:–

(क) खराब अंगुलीछाप गुणवता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, इस हेतु विभाग आईरिस स्कैनर्स अथवा चेहरा अधिप्रमाणन के साथ अंगुलीछाप अधिप्रमाणन के लिए प्रावधान करेगा ताकि निर्बाध रीति के प्रसुविधा प्रदान की जा सके;

(ख) जहां अंगुली के माध्यम से बायोमैट्रिक्स अधिप्रमाणन अथवा आईरिस स्कैन अथवा चेहरा अधिप्रमाणन सफल न हो वहां व्यवहार्यता एवं स्वीकार्यता अनुसार सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाईम पासवर्ड (ओटीपी) या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा अधिप्रमाणन किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमैट्रिक्स अथवा आधार वन टाईम पासवर्ड अथवा समय–आधारित वन–टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां योजना के अधीन प्रसुविधाएं भौतिक आधार पत्र के आधार पर प्रदान की जाएंगी, जिनकी अधिप्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिकिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिकिया कोड रीडर विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थान पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

4. उपरोक्त बातों के बावजूद, किसी भी बच्चे को प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने में विफलता के मामले में, अथवा आधार संख्या का सबूत प्रस्तुत न करने अथवा जिसे आधार नंबर प्राप्त नहीं हुआ है, को नामांकन हेतु आवेदन पत्र की प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहने पर भी योजना के तहत प्रसुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। उसे प्रसुविधा अन्य दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान को सत्यापित करने उपरान्त, जैसा कि अनुच्छेद 1 के उप–अनुच्छेद (3) के उपबंधो (ख) और (ग) में वर्णित है, प्रदान की जाएगी और जहां प्रसुविधा ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की जाएगी, इस हेतु एक अलग रजिस्ट्रार में इसका रिकार्ड रखा जाएगा, जिसकी विभाग द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से समय–समय पर समीक्षा की जाएगी और आडिट किया जाएगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

डॉ० महावीर सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 9th August, 2021

No. 12/3-2021 Exam (1).—

Subject: - Notification of Monthly Stipend to all Scheduled Caste Students Studying in classes IXth to XIIth under Section-7 of the Aadhaar Act, 2016 (as amended by the Aadhaar and Other Laws (Amendment) Act, 2019).

Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the School Education Department is implementing the scheme Monthly Stipend to all Scheduled Caste Students in classes from IXth to XIIth.

And whereas, under the Present Scheme, Scholarship disbursed to the beneficiaries through DBT Mode is given to the beneficiaries studying in Government schools in the classes from 9^{th} to 12^{th} as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of Haryana State Government (Finance Department).

Now, therefore, in pursuance of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred as the said Act*), the government of Haryana is hereby notifies the following, namely:–

1. (1) Any Student desirous of availing the benefit under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any Student desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment subject to the consent of his parents or guardians, before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar Enrolment Centre located in the respective Block Taluka Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar Enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that, till the time Aadhaar is assigned to the student, the benefit under the Scheme shall be given to such student subject to production of the following documents, namely:–

(a) If the Beneficiaries, has been enrolled after attaining the age of five years (with biometrics collection), his Aadhaar Enrolment Identification slip, or of bio-metric update identification slip; and

(b) Any one of the following documents, namely:–

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing parents' names; and

(c) Any one of the following documents as proof of relationship of the beneficiary with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:–

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) Card; or Employees' State Insurance Corporation (ESIC) Card; or Central Government Health Scheme (CGHS) Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) Any Government Family Entitlement Card; or

(vii) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the students under the Present Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the eligible students to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the eligible students or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:–

(a) In case of poor Fingerprint quality, Iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing agency shall make provisions for Iris scanners or Face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) In case the biometric authentication through Fingerprints or Iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time–based One–Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time–based One–Time Password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. Notwithstanding anything contained herein above, no student shall be denied benefit under this Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a student to whom no Aadhaar number has been assigned, submitting an application for enrolment. The benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clause (b) and (c) of the proviso of sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its Implementing Agency.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

DR. MAHAVIR SINGH,
Additional Chief Secretary to Government of Haryana,
School Education Department.

9339—C.S.—H.G.P., Pkl.